न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
035/2017 (GCMS 2017/00140)	17.11.2017	03.03.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजकुमार गाँधी पुत्र दयाराम गाँधी (विक्रेता/मालिक) मोबाईल नम्बर 9468606482
मैसर्स महालक्ष्मी बेकरी 21, इन्द्रा मार्केट, पंचायत समिति के बाहर कलेक्ट्री चौराहा चित्तौड़गढ,
निवासी C/0 टॉयेटा शो रूम के उपर भीलवाड़ा रोड, चित्तौड़गढ़।
2. मैसर्स महालक्ष्मी बेकरी, 21 इन्द्रा मार्केट, पंचायत समिति के बाहर कलेक्ट्री चौराहा चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.01.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.01.2017 को समय 2.30 पीएम पर महालक्ष्मी बेकरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:54:46 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21, इन्द्रा मार्केट, पंचायत समिति के बाहर कलेक्ट्री चौराहा चित्तौड़गढ़ पर पहुँचा। वहां पर राजकुमार गाँधी पुत्र दयाराम गाँधी उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ रोल गजक (महालक्ष्मी ब्राण्ड) व अन्य बेकरी सामान आदि आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता से वर्ष 2017 का खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जो कि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह एवं खुश्बू वर्मा की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण कर खाद्य नमूना संख्या एएम 766 लेने के पश्चात् मौके पर पाया कि फर्म पर कुल 11 सील्ड पैकेट (प्रत्येक पैकेट 400-400 ग्राम के) विक्रय हेतु रखे पाये गये। उक्त में से 1 सील्ड पैकेट रोल गजक (महालक्ष्मी ब्राण्ड) को ध्यान से देखने पर उस पर रोल गजक (महालक्ष्मी ब्राण्ड) **Batch No. RF2/A11,** नेट वेट- 400 ग्राम, एमआरपी- 180/-, **Date of Mfg.**-31. 12.2016, **best before 2 Months from the date of MFG. Mfg. & Mktd. By-** मैसर्स महालक्ष्मी गजक भण्डार कीरों का खेड़ा, आरजिया भीलवाड़ा-311001 आदि अंकित पाया गया विक्रेता के पास उक्त सदाबहार गजक (महालक्ष्मी ब्राण्ड) का खरीद बिल नहीं होना पाया गया। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत जॉच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के 4 सील्ड पैकेट 400-400 ग्राम के वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 400/- नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। साथ ही उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय बिल की प्रति व खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति भी संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर-बराबर भागों में (प्रत्येक भाग मे 1 सील्ड पोलिपेक) बॉट कर अलग-अलग रखा। उक्त नमुना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-767** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:54:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहन के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैब में जॉच कराने को जानकारी मौके पर ही मेरे द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हरताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जगा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/320 दिनांक 16.02.2017 द्वारा ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि मिसब्राण्ड होना पाया गया था। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। उक्त फर्म महालक्ष्मी बेकरी, 21 इन्द्रा मार्केट, पंचायत समिति के बाहर कलेक्ट्री चौराहा चित्तौड़गढ़ से उक्त खाद्य पदार्थ के कय बिल के सम्बन्ध में बताया गया कि उसके पास उक्त नमूने का खरीद बिल उपलबध नहीं है। प्रेषित पत्र की मूल कार्यालय प्रति व प्राप्त प्रति उत्तर मय वाणिज्यकर रजिस्ट्रेशन की प्रति के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 629 दिनांक 16.02.2017 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:54:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2911 दिनांक 05.07.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगणों ने मिसब्रान्ड रोल गजक (महालक्ष्मी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। अतः उपरोक्त अवेदन न्याय निर्णयन हेतु श्रीमान को प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणो पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया ज सके। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन श्रीमान को प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 18.01.2018 को अप्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता जितेन्द्र औझा हाजिर आयें जवाब हेतु अवसर चाहा जो दिया गया। दिनांक 03.03.2021 को अधिवक्ता अप्रार्थी हाजिर आये एवं जवाब परिवाद पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अपने जवाब परिवाद में अप्रार्थी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल लिए रोल गजक की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं खाद्य एवं मानक नियम 2001 के अनुसार अभियुक्तगणों को प्रथम जांच रिपोर्ट की की प्रति रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई जिस कारण अभियुक्त को दूसरी बार केन्द्रीय अधिकृत लेबोरेट्री से जांच करवाने का महत्वपूर्ण अधिकार का हनन हुआ है जिस कारण यह परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। मैन्यूफेक्चरीग कम्पनी महालक्ष्मी गजक भण्डार किरो का खेडा, आरजीया भीलवाडा राज, का एजेन्ट रोल गजक के सेम्पल के 15 पैकेट का कार्टन मेरे यहां रख कर के गया था कि बाजार में मार्केटिग करके वापिस आकर ले जाउगा ओर इसी दरमियान अभिहित खाद्य सुरक्षा अधिकारी निरीक्षण के लिए दुकान पर आए ओर इनको जब्त कर सेम्पल ले लिए। जवाबदाता ने सेम्पल के लिए रखे गये माल को किसी भी प्रकार से कोई विक्रय नहीं किया था उक्त माल रोल गजक से जवाबदता का किसी भी प्रकार से कोई सबंध नही था ओर नही जवाबदाता ने उक्त्त गजक का किसी ग्राहक को विक्रय किया गया था खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल लेने के बाद बकाया माल को जवाबदाता ने माल को नष्ट कर दिया था। जवाबदाता द्वारा जब्ती की कार्यवाही से 15-20 दिन पूर्व ही उक्त व्यवसाय प्रारम्भ किया था प्रार्थी गरीब व्यवसायी है प्रार्थी ने किसी भी प्रकार से उक्त ब्राण्ड का कोई दुरूपयोग नही कर अपराध कारित नही किया है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:54:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी जवाबदाता का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर जवाबदाता/अभियुक्त के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे। जवाब परिवाद शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 03.03.2021 को विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल लिए रोल गजक की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं खाद्य एवं मानक नियम 2001 के अनुसार अभियुक्तगणों को प्रथम जांच रिपोर्ट की की प्रति रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई जिस कारण अभियुक्त को दूसरी बार केन्द्रीय अधिकृत लेबोरेट्री से जांच करवाने का महत्वपूर्ण अधिकार का हनन हुआ है जिस कारण यह परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। मैन्यूफेक्चरीग कम्पनी का एजेन्ट रोल गजक के सेम्पल के 15 पैकेट का कार्टन मेरे यहां रख कर के गया था कि बाजार में मार्केटिग करके वापिस आकर ले जाउगा ओर इसी दरमियान अभिहित खाद्य सुरक्षा अधिकारी निरीक्षण के लिए दुकान पर आए ओर इनको जब्त कर सेम्पल ले लिए। जवाबदाता ने सेम्पल के लिए रखे गये माल को किसी भी प्रकार से कोई विक्रय नहीं किया था उक्त माल रोल गजक से जवाबदता का किसी भी प्रकार से कोई सबंध नही था। जवाबदाता द्वारा जब्ती की कार्यवाही से 15-20 दिन पूर्व ही उक्त व्यवसाय प्रारम्भ किया था प्रार्थी गरीब व्यवसायी है प्रार्थी ने किसी भी प्रकार से उक्त ब्राण्ड का कोई दुरूपयोग नही कर अपराध कारित नही किया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी जवाबदाता का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर जवाबदाता/अभियुक्त के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली को बागौर आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को रोल गजक (महालक्ष्मी ब्राण्ड) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी संख्या 1 एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि नमूना खरीद बिल से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 20.01.2017 का अवलोकन किया। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 20.01.2017 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ रोल गजक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:54:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(महालक्ष्मी ब्राण्ड) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध हैं से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-767** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 62 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2017/291 दिनांक 23.01.2017 से पत्रवाहक महेन्द्रसिंह (सहायक कर्मचारी) के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-767** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद को अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक महेन्द्रसिंह (सहायक कर्मचारी) द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 23.01.2017 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी संख्या 1 से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिये गये बिल संख्या 2620 दिनांक 20.01.2017 मैसर्स महालक्ष्मी बेकरी, चित्तौड़गढ़ का अवलोकन किया जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2017/629 दिनांक 16.02.2017 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 13/Act/2017/07 Dated 24-01-2017** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 13/Act/2017/07 Dated 24-01-2017** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Report No LS 13/Act/2017/07 Dated 24-01-2017

Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed as under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Devendra Singh Ranawat Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Gajak (Roll Mahalaxmi) bearing code no. and serial no. AM- 767 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.0, of District Chittorgarh on 23.01.2017 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 62 Intact and unbroken. The scals fixed on the container and outer cover

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:54:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be Gajak (गजक) falling under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in Condition fit for analysis and has been analyzed on 24.01.2017 and the result of its analysis is given below-
ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The Sample contained in a original company duplex box having a plastic box of 400g.
(ii) Physical appearance:- Creamish in color, solid metarial, Sesame Seeds visible
(iii) Label :-- Brand- Mahalaxmi, Name of food- Roll Gajak, Mfg. by- Mahalaxmi Gajak Bhandar, Keeron Ka Khera, Arijiya Bhilwara (Raj), Mfg. date.- 31.12.2016, Batch No.- RF2/A11, Best before 2 months from the date of mfg. Given in small letters should be in capital letters Violation of regulation no. 2.2.2(10) of Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulations 2011. Green symboi of veg.- Present. Ingredients- Present, Nut. Value- Given. Bar code- 8906008440447, Fssai lic. no.- 12215016000228.
Opinion: The sample Gajak (Roll Mahalaxmi) Bearing code no. and serial no. AM- 767 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh The sample is misbranded food as Best before 2 months from the date of mfg. Given in small letters should be in capital letters Violation of regulation no. 2.2.2(10) of Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulations 2011. The sample is misbranded under section 3(1)(zh)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 62 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 24.01.2017 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Gajak (गजक) falling under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011.** है, एवं उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-767** रोल गजक (महालक्ष्मी ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf(C)(i)** के तहत मिस ब्राण्ड स्तर का पाया गया है। जिसकी पुष्टि स्वरूप खाद्य विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई है जो कि रिकार्ड पर है। हमने अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ के रजिस्टर्ड पत्रांक/एफएसएसए/2017/629 दिनांक 16.02.2017 का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2017/1294 दिनांक 30.03.2017 से विपक्षी से खाद्य पदार्थ के क्रय बिल एवं वाणिज्यिक विभाग रजिस्ट्रेशन इत्यादि के संबंध में सूचना चाही गई। उक्त पत्र का विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:34:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/ 2017/2911 दिनांक 05.07.2017 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है। उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। जहां तक विपक्षी द्वारा अपने जवाब परिवाद में उठाये गये तथ्यों का संबंध में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद के समस्त तथ्यों ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया गया है, एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। उक्त खाद्य पदार्थ का विपक्षी के पास बिल का नहीं होना जाहिर होता है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये हैं :–

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

- (i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;
- (ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and
- (iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:54:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.
(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

(i) which is unsafe; or
(ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or
(iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or
(iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or
(v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.
(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.
(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

(1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.
(2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–
  (a) Supplied after the date of its expiry; or
  (b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or
  (c) Unsafe or misbranded; or
  (d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or
  (e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or
  (f) received by him with knowledge of being unsafe.
(2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –
  (a) sold after the date of its expiry; or
  (b) handled or kept in unhygienic conditions; or
  (c) misbranded; or
  (d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:54:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित हैं, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 जो कि विपक्षी संख्या 2 फर्म के मालिक होने से विपक्षी संख्या 1 श्री राजकुमार गाँधी पुत्र दयाराम गाँधी (विक्रेता/मालिक) मोबाईल नम्बर 9468606482 मैसर्स महालक्ष्मी बेकरी 21, इन्द्रा मार्केट, पंचायत समिति के बाहर कलेक्ट्री चौराहा चित्तौड़गढ, निवासी **C/0** टॉयेटा शो रूम के उपर भीलवाड़ा रोड, चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:54:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

विपक्षी संख्या 1 की दोष सिद्धि घोषित की गई हैं, इसके साथ विपक्षी संख्या 2 विक्रेता फर्म जिसके नोमिनी/मालिक विपक्षी संख्या 1 हैं, जिससे अर्थदण्ड विपक्षी संख्या 1 को किया जाना उचित प्रतीत होता हैं, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 श्री राजकुमार गाँधी पुत्र दयाराम गाँधी (विक्रेता/मालिक) मोबाईल नम्बर 9468606482, मैसर्स महालक्ष्मी बेकरी 21, इन्द्रा मार्केट, पंचायत समिति के बाहर कलेक्ट्री चौराहा चित्तौड़गढ, निवासी **C/0** टॉयेटा शो रूम के उपर भीलवाड़ा रोड, चित्तौड़गढ़ को रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **03.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:54:46 IST
Reason: SelfAttested